न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 42/2020

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. भीमराज पुत्र लक्ष्मण दास जाति खत्री निवासी पिपली चौक, चौहटन, बाड़मेर (मैसर्स चम्पालाल ओमप्रकाश चौहटन, जिला बाड़मेर का मालिक)
2. प्रकाश चन्द पुत्र शंकरलाल जाति जैन निवासी जैन दादावाडी, सुन्दर नगर बाड़मेर (मैसर्स कैलाश हार्डवेयर एण्ड इलेक्ट्रिक, एसबीबीजे बैंक रोडद्व चौहटन का मालिक)
3. संगीता देवी पत्नी संजय कुमार जाति महेश्वरी निवासी रैन बसेरा के पीछे, बाड़मेर (मैसर्स माँ सांचल एन्टरप्राईजेज, रैन बसेरा के पीछे, बाड़मेर)
4. अमीत कुमार अग्रवाल सोल प्रोप्राइटर ऑफ मैसर्स भवानी ट्रेडर्स, GROUND FLOOR, E 274, A, SECOUND PHASE BASNI, JODHPUR, RAJASTHAN 342001

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कपिल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित।
3. श्री जगदीश चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:06 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक : 01.09.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म **मैसर्स चम्पालाल ओमप्रकाश चौहटन, जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **14.10.2019** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **पान मसाला ब्राण्ड तानसेन (150ग्राम के पाउच पैकेट)**, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार कुल 12 पैकेट **पान मसाला ब्राण्ड तानसेन (150ग्राम के पाउच पैकेट)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–1098** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थीगण एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **पान मसाला ब्राण्ड तानसेन (150ग्राम के पाउच पैकेट)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **पान मसाला ब्राण्ड तानसेन (150ग्राम के पाउच पैकेट)** का नमूना **असुरक्षित खाद्य (Unsafe food)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नमूना की जांच निर्दिष्ट प्रयोगशाला से कराये जाने का निवेदन किया गया। इस पर उक्त नमूना जांच हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर को भिजवाया गया जिसमें जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **28.01.2020** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** स्तर का पाया गया है। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने जवाब में प्रस्तुत किया कि उन्हें उक्त परिवाद में आक्षेपित तथ्यों का ज्ञान नहीं है। प्रार्थी ने अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं किया है और जानबूझकर अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही की है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि एक ही सैम्पल, जो एक ही वक्त लिये गये थे, की रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर एवं निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर भिन्न–भिन्न होने से अभियुक्तगण संख्या 1 से 3 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत जुर्माना एवं शास्ति के लिये कतई जिम्मेदार नहीं है तथा यह कार्यवाही ड्रॉप करने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने जवाब में प्रकट किया कि उक्त परिवाद में आक्षेपित तथ्यों का उसे ज्ञान नहीं है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

अप्रार्थी को अन्तिम पक्षकार मानकर पेश की गई यह परिवाद गलत है। लिहाजा उसके विरूद्ध उक्त कार्यवाही ड्रॉप करने लायक है।

3. हमने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर की जांच उपरान्त रिपोर्ट दिनांक **28.01.2020** में उक्त नमूना **अवमानक (Substandard)** पाया गया है। इस पर यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिरक्षण के रूप में जवाब प्रस्तुत किया गया हैं कि उक्त परिवाद में आक्षेपित तथ्यों का ज्ञान नहीं है और एक ही सैम्पल, जो एक ही वक्त लिये गये थे, की रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर एवं निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला मैसूर भिन्न–भिन्न होने से उनके विरूद्ध यह कार्यवाही ड्रॉप करने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ वी.के. मार्केटिंग योजना पार्वती नगर प्लॉट नंबर 19 सी स्कीम जयपुर से क्रय करना बताया है तथा प्रकट किया कि उसे अन्तिम पार्टी मानकर जो परिवाद प्रस्तुत किया गया है वह गलत होने से ड्रॉप फरमाया जावे। अप्रार्थीगण 1 से 4 की ओर से अपने व्यवसाय में जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय किया जा रहा था, की गुणवता व मानकता के प्रति अपने दायित्व से विमुक्ति का प्रयास किया गया है। अप्रार्थी संख्य 1 की फर्म से लिया गया खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक पाया गया है तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गये विनियमों की सम्पूर्ण पालना किया जाना आवश्यक एवं बाध्यकारी है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक प्रतिरक्षण प्रकट नहीं किया गया है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर [illegible] उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रत्येक पर रूपये 50,000/– एवं अप्रार्थी संख्या 4 पर रूपये 1,00,000/– का जुर्माना अधिरो[illegible] किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:06 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 01.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:06 IST
Reason: SelfAttested